(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1236–तीन/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 13–03–2013 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 54/अपील/2012–13.

....

अशोक कुमार मिश्रा तनय श्री उदयभांन ब्राहम्ण
निवासी ग्राम पापल तहसील सरई
जिला सिंगरौली म0 प्र0

––– आवेदक

विरूद्ध

1–साधूलाल तनय रामसेवक ब्राहम्ण
2–आशीष कुमार तनय प्रेमलाल ब्राह्म्ण
3–अभिषेक कुमार तनय प्रेमलाल ब्राहम्ण
सभी निवासी ग्राम पापल तहसील सरई
जिला सिंगरौली म0 प्र0

––– अनावेदकगण

....

श्री राकेश कुमार निगम, अभिभाषक, आवेदक
श्री जी0 एन0 सिंह, अभिभाषक, अनावेदक क0–1
श्री शिवराज सिंह, अभिभाषक, अनावेदक क0 1, 2

....

आदेश

(आज दिनांक 02-08-17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–03–2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण 1 लगायत 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील देवसर के न्यायालय में दिनांक 02.05.07 को धारा 89

एवं 115, 116 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत म्याद इस्तहार वास्ते दावा आपत्ति हेतु दिनांक 10.5.07 को उद्घोषित किया गया। इस्तहार म्याद अन्दर प्रकरण में किसी प्रकार की दावा आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुई। दिनांक 10.5.07 को हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मंगाया गया जो दिनांक 12.5.07 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और प्रतिवेदन मौका के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.6.07 को आदेश पारित किया। इसी से दुखित होकर अशोक कुमार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 50 / अपील / 2007–08 पर दर्ज होकर दिनांक 16.9.10 को आदेश पारित कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया, इससे परिवेदित होकर साधूलाल आदि द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 54 / अपील / 2012–13 पर दर्ज होकर दिनांक 13.3.13 को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 115, 116, एवं 89 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें भूमि खसरा पुराना नम्बर 213 रकवा 1.70 एकड़ जिसका नया नम्बर 1102, 1103, 1104 है। बन्दोवस्त के दौरान कब्जानुसार प्लाटिंग नहीं किया गया जिसमें निगरानीकर्ता को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में यह आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि उक्त प्रकरण रिमाण्ड आदेश है, इसलिये उक्त प्रकरण की अपील प्रचलनशील नहीं है। अपर आयुक्त रीवा द्वारा दिनांक 13.2.13 को ही आपत्ति निरस्त कर दी गई। उनके द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है वह प्रतिप्रेषण (रिमाण्ड) आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी जबकि प्रतिप्रेषण आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान नहीं है, ऐसा संहिता में यह उललेख किया गया है कि प्रतिप्रेषण के ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील सुनकर आदेश पारित किया गया हो जो अपील योग्य नही था, तब ऐसा आदेश अधिकारिता रहित होने से शून्य है। इसी तरह से माननीय राजस्व मण्डल का अभिमत है कि अन्तरिम प्रकृति का प्रतिप्रेषण आदेश की अपील ग्राहय नहीं है। यहां यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जब किसी आदेश का एक अंश

अपील योग्य हो तथा दूसरा न हो तब भी समस्त आदेश का निगरानी किया जावेगा । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधि बिन्दुओं की अनदेखी कर अपील में आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व है और वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उनके द्वारा अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि म्याद के बिन्दु का निराकरण किया जाना व्यर्थ है, ऐसा राजस्व मण्डल का अभिमत है । म्याद के बिन्दु का निराकरण अंतिम आदेश के साथ नहीं किया जा सकता। अंतिम आदेश के पूर्व म्याद के बिन्दु का निराकरण किया जाना आवश्यक है लेकिन उक्त प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है इस कारण भी आदेश त्रुटिपूर्ण है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है अर्थात काबिल निरस्तगी है। साधूलाल के पक्ष में म्याद के बिन्दु का जो निराकरण किया है वह भी म्याद अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि संहिता की धारा 115, 116 एवं 89 के तहत आदेश पारित किया है जबकि धारा 115, 116 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता की कार्यवाही एक साथ नहीं की जा सकती है। धारा 115 की कार्यवाही पक्षकार के आवेदन पत्र परी नहीं की जा सकती है। धारा 116 की कार्यवाही करने के लिये म्याद एक वर्ष है तथा धारा 89 में उल्लेख है कि गलतियों को ठीक करने की शक्ति अनुविभागीय अधिकारी को है तहसीलदार को प्राप्त नहीं है । सीधी जिले में जो वर्तमान में सिंगरौली जिला हो गया है वहां पर वर्ष 1984–85 में बन्दोवस्त की कार्यवाही हुये लगभग 25 वर्ष हो गये हैं और 25 वर्षो की त्रुटि को सुधार करने के लिये आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वह उचित न्यायालय नहीं है उसके लिये सक्षम न्यायालय में कार्यवाही किंया जाना आवश्यक है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में आगे कहा गया है कि अनावेदकगण रोड के किनारे आराजी न0 1104 नक्शा सुधार के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं जबकि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 107 (5) के तहत नक्शा सुधार किये जाने का अधिकार कलेक्टर महोदय एवं अपर कलेक्टर महोदय को प्राप्त है इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा नक्शा सुधार के संबंध में जो आदेश पारित किया गया है वह भी अधिकारिताविहीन है जिस पर द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया है इसलिये आदेश त्रुटिपूर्ण है जो निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में तर्क किया गया है कि पेशी दिनांक 10.5.07 को हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मंगाया गया जो दिनांक 12.5.07 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ओर प्रतिवेदन मौका के आधार पर प्रदर्श पी–1 व 2 के साथ प्रस्तुत पुल्ली के आधार पर विधि संगत भू–राजस्व संहिता की मंशा के अनुरूप दिनांक 18.6.07 को विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया तथा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 18.6.07 के परिपालन में निगराकार मुताबिक पुल्ली एवं पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय के आदेशानुसार अपने आराजियात के स्वत्व एवं अधिपत्य को स्वीकार करते हुये आदेशित आराजियात खसरा कमांक 527, 533, 1104/1, 1102/3 का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों खसरा एव बी–वन में काराकर निगराकार अशोक कुमार द्वारा अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की खसरा कमांक 1102 का जुज रकवा 20 गुणे 35 यानि 700 वर्ग फीट जरिये रजिस्ट्री कमांक 8/413 राजकुमारी पत्नी कैलाश राम दुबे को बिकी कर दिया इससे यह प्रमाणित है कि अधिनस्थ विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 18.6.07 से निगराकार सहमत था और उसे अधिनस्थ विचारण न्यायालय के प्रकरण की पूर्णतः जानकारी थी एवं उसके द्वारा की गई बिकी के आधार पर उसे उक्त आदेश दिनांक 16.6.07 के विरूद्व अपील करने का कोई भी अधिकार नहीं था। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 18.6.07 के विरूद्व एक वर्ष पश्चात न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी देवसर के न्यायालय में अवधि वाधित प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय में गैर निगराकार को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई और ना ही समाचार पत्र में प्रकरण संबधी प्रकाशन नहीं कराया गया नैसर्गिक न्याय के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर ही दिया गया बल्कि अपीलार्थी कमांक 1, 3, व 4 की फर्जी हस्ताक्षर से तामीली बताई गयी जिसमें कमांक 4-अवयस्क व्यक्ति के बली संरक्षक बनाये बिना एक अवयस्क व्यक्ति के विरूद्व आदेश दिनांक 16.9.10 जरिये एक पक्षीय कार्यवाही की गई यह अवलोकनीय तथ्य यह है कि अनावेदक कमांक 2 मृतक शशिकला जिनकी मृत्यु अपील दायरा के पहले ही हो चुकी थी की जानकारी निगराकार को थी इसके बावजूद मृतक महिला की तामीली बताई जा कर 1 ता 4 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई उक्त पेशी दिनांक की आदेश पत्रिका दिनांक 20.4.09 का यदि अवलोकन किया जाय तो दिनांक 20.4.09 में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं बने हुये है जिससे एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना

कतई विश्वसीनय नहीं है इस ओर अधिनस्थ पथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा कतई गौर नहीं किया गया है। अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी उल्लेख किया गया है कि अनावेदक कमांक 1 साधू लाल को कंभी भी नोटिस व सम्मन नहीं दिया गया और न ही किसी प्रकार से तामील कराई गई साथ ही समन में अपीलार्थी कमांक 3 आशीष कुमार जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो नासिक महाराष्ट्र में धार्मिक न्यास का संचालन करता है इस तथ्य की जानकारी निगराकार को थी इसके बावजूद फर्जी हस्ताक्षर से तामील कराई गई और तामील कुनन्दा के बयान भी नहीं कराये गये और सभी अनावेदकगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई अशीष कुमार कमांक 3 के समन में गलत पता अंकित था जबकि निगराकार की कानूनी जिम्मेदारी थी कि सही पते पर पक्षकार की तामील कराये जाने की कार्यवाही करता इस प्रकार से अनावेदक कमांक-4 अभिषेक कुमार उम्र 11 वर्ष का बली संरक्षक, न बनाया जा कर अवयस्क व्यक्ति के विरूद्व आदेश दिनांक 16.9.10 जरिये एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 20.4.09 कराया गया। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 13.3.13 उचित होने से यथावत रखने का अनुरोध करते हुये आवेदक की निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5-उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया। नायब तहसीलदार के न्यायालय में धारा 115, 116 खसरा सुधार हेतु आवेदन पत्र दिया गया । आवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त किया, इश्तहार जारी किया, तथा आवेदक अशोक कुमार को नोटिस दिनांक 12.5.07 को भेजा जो उन्हें दिनांक 18.5.07 को तामील किया गया, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 13.5.07 को अवलोकन किया जिसमें पटवारी द्वारा भूमि के संबंध में सभी कृषकों के प्लाटों में संशोधन करना प्रस्तुत किया जिसके आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.6.17 को आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर अपील स्वीकार की गई कि अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई साक्ष्य का अवसर अपीलार्थी को नहीं दिया गया। न ही पटवारी तथा स्थल जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया। तहसीलदार के प्रकरण के अवालोकन स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के आदेशानुसार इश्तहार जारी किया गया है जो उनके प्रकरण में पृष्ठ कमांक 24 पर संलग्न है और अशोक कुमार को जो तामील दिनांक 10.5.07 की हुई है वह भी पृष्ठ कमांक 25 पर संलग्न है जांच प्रतिवेदन पृष्ठ 26 पर संलग्न है। अनुविभागीय अधिकारी

के न्यायालय में शशिकला को पक्षकार बनाया गया था तथा शशिकला को दिनांक 20.4.2009 की सुनवाई की तिथि में उपस्थित होने हेतु नोटिस दिनांक 24.2.09 का भेजा गया तथा तामील होकर दिनांक 20.4.11 की आदेश पत्रिका में उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई जबकि शशिकला के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गई जो कि दिनांक 17.1.07 को शशिकला की मृत्यु ग्राम पापल में हुई है जिसका प्रमाण पत्र कमांक 18332 ग्राम पापल के द्वारा जारी किया गया तथा दिनांक 25.1.07 को रजिस्टर्ड हुआ। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय का दिनांक 24.2.09 को भेजा गया नोटिस मृत व्यक्ति को किस आधार पर तामील किया गया यह भी जांच का विषय था इस हेतु अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवसर के न्यायालय में चारो अनावेदकगण व्यक्तियों को फर्जी तामील कराने एवं मृत व्यक्ति को फर्जी तामील कराने के संबंध में कठोर कार्यवाही हेतु लेख भी किया गया है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी देवसर के प्रकरण में संलग्न नोटिस अपीलार्थीगण साधूलाल, शशिकला, आशीष कुमार एवं अभिषेक कुमार को जारी नोटिस का अवलोकन किया जिसमें सभी के हस्ताक्षर फर्जी अपर आयुक्त रीवा द्वारा बताया गया है। साधूलाल के नोटिस पर साधूराम लिखा गया है चारो की तामील पर एक ही व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये गये है जो बिल्कुल फर्जी हैं इसका उल्लेख अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में किया गया है। अपीलार्थीगण की तामील अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में पृष्ठ कमांक 42 से 45 तक संलग्न है। अनुविभागीय अधिकारी देवसर द्वारा नायब तहसीलदार की विधि सम्मत कार्यवाही को निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। परिणामस्वरूप नायब तहसीलदार देवसर के प्रकरण कमांक 44/अ–5/ 06–07 में पारित आदेश दिनांक 18.6.07 एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 54/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 13.3.13 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर